

पोन्चा

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

|   |    |  |
|---|----|--|
| वादी  | ब  | प्रतिवादी                                |
| <del>श्री प्रेमचंद पुत्र काशुका माता कोरि प्रेममया पोन्चा</del> | ना | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |
|   | म  |  |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 338/2021 GCMS No. 2021/11115

|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|-----------------------------------|--|

13/1/2021 वादी श्री श्री प्रेमचंद पुत्र काशुका जाति कोरि प्रेममया निवासी पोन्चा द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत पोन्चा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम पोन्चा पटवार मण्डल पोन्चा के खाता नम्बर 144 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि ~~श्री प्रेमचंद पुत्र काशुका माता कोरि प्रेममया~~ दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम श्री प्रेमचंद पुत्र काशुका माता कोरि प्रेममया है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 3756 1430 1975 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज 24/1/21 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पोन्चा भू.अ.नि पोन्चा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल नम्बर 1371-1373 हो।



3  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)